धारा 6–ए प्रकरण सं0 97/2018(RCMS No. : 2018/00) अनवान नेमीचंद पुत्र बुधराम बिश्नाई उम्र 46 वर्ष निवासी रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर बनाम सरकार जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर।

16.10.2018

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी नेमीचंद के अभिभाषक श्री रामनिवास बिश्नोई एवं विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित है। दोनो पक्षो की बहस दिनांक 12.10.2018 को सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी नेमीचंद के अभिभाषक श्री रामनिवास बिश्नोई का कथन था कि प्रार्थी नेमीचंद व पवन कुमार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का 304 क्विंटल गेंहू एवं प्रार्थी नेमीचंद का 12 टायर वाला ट्रक नं आर जे 21 जीए 7392 जब्त करके, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के अन्तर्गत उक्त जब्त शुदा ट्रक व जब्त शुदा गेहूँ राजसात करने के लिए प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया एवं धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एक अपराधिक प्रकरण में प्रार्थी व पवन कुमार के विरूद्ध पेश किया गया। उनका आगे यह भी कथन है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम अन्तर्गत की धारा 6ए के प्रकरण संख्या 67/2016 सरकार बनाम पवन कुमार वगै. में निर्णय दिनांक 19.06.2017 के द्वारा प्रार्थी का जब्तशुदा 12 टायर वाला ट्रक संख्या आर जे 21 जीए 7392 को एवं जब्तशुदा 304 क्विंटल को राजसात करने के आदेश दिये गये एवं राजसात किये गये उक्त वाहन की एवज मे चार लाख रूपये जुर्माना लगाया गया।

उनका आगे यह भी कथन था कि उक्त आदेश दिनांक 19.06.2017 के विरूद्ध प्रार्थी नेमीचंद के द्वारा माननीय सैशन न्यायालय, श्रीगंगानगर के न्यायालय में अपील संख्या 225/2017 नेमीचंद बनाम स्टेट पेश की, जो दिनांक 31.07.2018 के आदेश से खारिज कर दी गई। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी नेमीचंद के द्वारा जिला कलक्टर के राजसात आदेश दिनांक

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

19.06.2017 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जोधपुर में एसबी क्रिमीनल रिविजन पेटीशन संख्या 1059/2018 नेमीचंद बनाम स्टेट व पवन कुमार पेश की और इस दौरान प्रार्थी नेमीचंद के विरूद्ध दर्ज धारा 3/7 का अपराधिक प्रकरण संख्या 13/2017 स्टेट बनाम पवन कुमार वगै. में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई एफ.आर. स्वीकृत कर दी है और जिसके विरूद्ध स्टेट की ओर से कोई रिविजन आदि पेश नहीं की गई है। इस प्रकार प्रार्थी नेमीचंद 3/7 के अपराध से दोष मुक्त हो चुका है और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा याचिका एसबी क्रिमीनल रिविजन पेटीशन संख्या 1059/2018 नेमीचंद बनाम स्टेट व पवन कुमार निर्णय दिनांक 19.09.2018 से स्वीकार करके इस न्यायालय का आदेश दिनांक 19.06.2017 निरस्त कर दिये और यह निर्देश दिये है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण के निर्णय को ध्यान में रखकर 15 दिवस में निर्णय पारित किया जावे।

उनका आगे यह कथन है कि इस न्यायालय का राजसात आदेश दिनांक 19.06.2017 निरस्त हो चुका है और 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण संख्या 13/2017 में भी पुलिस द्वारा प्रस्तुत एफ.आर., मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 20.08.2018 को स्वीकार कर ली है, जिसके विरूद्ध रसद विभाग द्वारा कोई अपील पेश नहीं की गई है परिणामस्वरूप प्रार्थी नेमीचंद दोषमुक्त हो चुका है इसलिए प्रार्थी का राजसात किया गया 12 टायर वाला ट्रक नं आर जे 21 जीए 7392 एवं तिरपाल वापिस दिलाया जाये।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

विभागीय प्रतिनिधि का कथन था कि प्रार्थी नेमीचंद व पवन कुमार के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत 6ए के प्रस्तुत प्रकरण संख्या 67/2016 सरकार बनाम पवन कुमार वगैरह जिला कलक्टर के निर्णय दिनांक 19.06.2017 के द्वारा जब्त शुदा 304 क्विंटल गेहूँ एवं 12 टायर वाला ट्रक नं आर जे 21 जी ए 7392 को राजसात करने के आदेश दिये गये थे और वाहन की एवज में 4,00,000/—रूपये जुर्माना लगाया गया था। जिसके विरूद्ध नेमीचंद के द्वारा प्रस्तुत अपील सैशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर द्वारा खारिज कर दी गई और इस न्यायालय का आदेश बहाल रखा गया। उक्त आदेश के विरूद्ध एवं माननीय सैशन न्यायाधीश के आदेश दिनांक 31.07.2018 विरूद्ध रिट याचिका पेश करने पर माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जोधपुर द्वारा इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.06.2017 निरस्त कर दिया और इसी दौरान नेमीचंद व पवन कुमार के धारा 3/7 के अपराधिक प्रकरण में पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई एफ.आर. पर रसद विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रोटैस्ट पैटिशन को भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 20.08.2018 को खारिज कर, एफ.आर. स्वीकार कर ली गई और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रट के निर्णय के विरूद्ध रसद विभाग द्वारा कोई अपील पेश नहीं गई और ना ही कोई अपील लम्बित है।

मैने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी नेमीचंद ने दिनांक 24.09.2018 को एक प्रार्थना पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19.09.2018 से जिला कलक्टर के निर्णय दिनांक 19.06.2017 निरस्त करते हुए प्रकरण में 15 दिन में पुनः निर्णय पारित करने हेतु आदेशित किया है। प्रार्थी नेमीचंद ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जोधपुर के निर्णय दिनांक 19.09.2018 एवं मुख्य न्यायिक

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 20.08.2018 की प्रति प्रस्तुत कर, राजसात ट्रक नं आर जे 21 जी ए 7392 मय तिरपाल लौटाये जाने के आदेश चाहे है।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि नेमीचंद व पवन कुमार के विरूद्ध इस न्यायालय में धारा 6 आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण संख्या 67/2016 दर्ज हुआ जिसमें पारित आदेश दिनांक 19.06.2017 के द्वारा जब्तशुदा ट्रक नं आर जे 21 जी ए 7392 व 304 क्विंटल गेहूँ राजसात करने के आदेश दिये गये थे और वाहन की एवज् में 4,00,000/– जुर्माना आरोपित करने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश के विरूद्ध नेमीचंद के वाहन के राजसात के सम्बन्ध में एक अपील संख्या 225/2017 सैशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के समक्ष पेश की जो दिनांक 31.07.2018 के आदेश से अस्वीकार कर दी गई और जिसमें निम्न आदेश पारित किया :

> अपील अपीलार्थी नेमीचंद इस अभिमत के साथ खारिज की जाती है कि आरक्षी केन्द्र रावला द्वारा प्राथमिकी संख्या 139/16 के सम्बन्ध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के न्यायालय में प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन संख्या 240/16 के निर्णय के उपरांत, यदि अंतिम प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो अपीलार्थी पुनः अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विधिनुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।
>
> **हस्ताक्षर**
> **सैशन न्यायाधीश**
> **श्रीगंगानगर**

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थी नेमीचंद के द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 19.06.2017 एवं सैशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के आदेश 31.07.2018 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में एस.बी. क्रिमिनल पैटीशन संख्या 1059/2018 पेश की। उक्त पैटीशन के चलते मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने प्रार्थीगण के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 13/2017 अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में सम्बन्धित पुलिस अधिकारी, रावला द्वारा प्रस्तुत एफ.आर. 240/16.12.2016 को अपने निर्णय दिनांक 20.08.2018 के द्वारा स्वीकार कर ली और एफ.आर. के विरूद्ध प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रोटैस्ट पैटीशन भी खारिज कर दी गई। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 19.09.2018 में निम्न प्रकार से निर्देश दिये है :

> In the above facts and circumstances of the case, this criminal revision petition is disposed of. The order dated 19.06.2017 passed by the District Collector, Sri Ganganagar in Case No. 67/2016 is set aside. The petitioner is free to move fresh application under Section 6A of the Essential Commodities Act before the District Collector, Sri Ganganagar for releasing the vehicle in question. It is ordered that if such application is moved by the petitioner, the District Collector, Sri Ganganagar shall decide the same within a period of 15 days from the date of filing of such application. It is also also directed that the District Collector, Sri Ganganagar shall consider observations made in the order dated 20.08.2018 passed by the Chief Judicial Magistrate, Sri Ganganagar while accepting the negative final report No. 240/2016 arising out of FIR No. 139/2016 of Police Station Rawla, District Sriganganagar objectively.
>
> The stay petition is also disposed of.

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जोधपुर ने अपने उक्त निर्णय दिनांक 19.09.2018 द्वारा इस न्यायालय का राजसात आदेश 19.06.2017 निरस्त कर दिया और साथ ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के एफ.आर. संख्या 240/2016 पर पारित निर्णय दिनांक 20.08.2018 पर विचार करने के आदेश दिये है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के उक्त निर्णय के विरूद्ध स्टेट की ओर से सक्षम न्यायालय में कोई अपील नहीं की गई है एवं माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय की पालना में राजसात किए गए ट्रक नम्बर आरजे—जीए—7392 वापिस लौटाये जाने पर विभागीय प्रतिनिधि को कोई आपत्ति नहीं है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6क 3(ग) निम्न प्रकार से है :

> **3(ग) जहां ऐसे आदेश के उल्लंघन के लिए, जिसके संबंध में इस धारा के अधीन अभिहरण का आदेश किया गया है, संस्थित किसी अभियोजन में संबंधित व्यक्ति दोषमुक्त कर दिया जाता है, वहां उसके स्वामी या उस व्यक्ति को, जिससे उसका अभिग्रहण किया गया है, संदत किए जाएगें।**

चूंकि इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.06.2017 जिसके द्वारा नेमीचंद का वाहन ट्रक नम्बर आरजे—जीए—7392 एवं 304 क्विंटल गेहूँ राजसात किया गया था के विरूद्ध एवं माननीय सैशन न्यायालय, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 31.07.2018 के विरूद्ध नेमीचंद द्वारा माननीय उच्च उच्च न्यायालय राजस्थान, जोधपुर में एस.बी. क्रिमीनल रिविजन पेटीशन संख्या 1059/2018 नेमीचंद बनाम स्टेट व पवन कुमार में पारित निर्णय 19.09.2018 से इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.06.2017 निरस्त कर दिया गया है और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण संख्या 13/2017 में सम्बन्धित पुलिस अधिकारी, रावला

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

द्वारा प्रस्तुत एफ.आर. संख्या 240/2016 स्वीकार कर ली गई है, जिसके परिणामस्वरूप नेमीचंद व पवन कुमार दोषमुक्त हो गए है। इसलिए **राजसात किया गया ट्रक** नम्बर आरजे—जीए—7392 एवं राजसात 304 क्विंटल गेहूँ **आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6क 3(ग) के तहत** वापिस लौटाया जाना उचित होगा।

अतः प्रार्थी नेमीचंद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 24.09.2018 स्वीकार किया जाता है और धारा 6 ए के अन्तर्गत राजसात किया गया वाहन ट्रक नम्बर आरजे—जीए—7392 उसे वापिस लौटाने का आदेश दिये जाते है। अतः जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी नेमीचंद के उक्त वाहन के स्वामी होने से सम्बन्धित दस्तावेजों की जांच कर एवं उसकी सही पहचान कर, राजसात किया गया वाहन ट्रक नम्बर आरजे—जीए—7392 नियमानुसार वापिस लौटा दिया जावे। इसी प्रकार जिला रसद अधिकारी को यह भी आदेश दिया जाता है कि राजसात किये गये 304 क्विंटल गेहूं के सम्बन्ध में **सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर, उसकी सही रूप से पहचान कर राजसात किया गया गेहूं धारा 6क— 3(ग) के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार सम्बन्धित व्यक्ति को वापिस लौटा दिया जाये।** आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर को भी प्रेषित की जाये। अभिलेखागार में जमा शुदा धारा 6ए की पत्रावली संख्या 67/2016 आदेश की प्रति सहित वापिस लौटाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.10.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर